डाक विभाग के कर्मचारियों हेतु कर्मचारी वेतन खाता (एसबीडीओपी) – शर्तें

1.1 ये शर्तें ("शर्तें") इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक (आईपीपीबी) की वेतन प्रस्ताव योजनाओं के अन्तर्गत वेतन खाता ("वेतन खाता") के परिचालन के लिए लागू है तथा बचत एवं चालू खाता (नियमों एवं शर्तों) के परिचालन हेतु नियमों एवं शर्तों के अतिरिक्त है।

1.2 शर्तों के प्रयोजन के लिए ग्राहक का अर्थ संस्था (नियोक्ता) के साथ व्यक्तिगत रूप से नियोजित वह व्यक्ति होगा, जिसे आईपीपीबी बैंक द्वारा वेतन खाता योजना ("योजना") की पेशकश की गई है और नियोक्ता द्वारा यह योजना पूर्ण रूप से स्वीकृत की गई है।

1.3 ग्राहक घोषणा करता है कि उसने उन सभी "नियमों एवं शर्तों" को पढ़ और समझ लिया है, जिसके अंतर्गत संस्था/संगठन को वेतन खाता योजना प्रदान किया जाता है और वेतन खाते के परिचालन के प्रयोजन हेतु योजना की शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत है।

1.4 नियोक्ता में परिवर्तन के मामले में, ग्राहक रोजगार में परिवर्तन के सम्बंध में शीघ्र ही आईपीपीबी बैंक को सूचित करेगा और ग्राहक या उसके मौजूदा नियोक्ता या अन्य प्रकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नियोक्ता विवरणों में परिवर्तन हेतु आईपीपीबी को प्राधिकृत करता है।

1.5 रोजगार में परिवर्तन के मामले में, वेतन खातों पर लागू लाभों को संशोधित किया जाना चाहिए।

1.6 यदि नियोक्ता द्वारा वेतन खाते में वेतन राशि लगातार 6 माह तक क्रेडिट नहीं की जाती है, तो आईपीपीबी वेतन खाते को नियमित बचत खाता के रूप में मानने का हकदार होगा और ग्राहक नियमित बचत खाते के लिए निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों अथवा शुल्कों की सूची के अनुसार खाते में न्यूनतम शेष राशि के रखरखाव के लिए बाध्य होगा और वेतन खाता योजना की शर्तें इस प्रकार के खातों पर लागू नहीं होगी और यह नियमित बचत खाते के नियमों एवं शर्तों द्वारा अधिशासित होगा।

1.7 नियोक्ता से त्यागपत्र देने / नौकरी से निकाले जाने के मामले में, बैंक नियोक्ता/ग्राहक से सूचना प्राप्ति पर नियोक्ता के साथ नौकरी के आखिरी दिन वेतन खाते को नियमित बचत खाते में परिवर्तित करने का अधिकार रखता है।

1.8 आईपीपीबी के पास अपने विवेकाधिकार से वेतन खाता योजना से सम्बंद्ध उत्पादों एवं सेवाओं पर अधिमानी शुल्क सूची में परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

1.9 खाता योजना परिवर्तन हेतु ग्राहक से कोई भी अतिरिक्त लेन-देन शुल्क नहीं लिया जायेगा, डोरस्टेप पर योजना में परिवर्तन हेतु अनुरोध के मामले में आईपीपीबी द्वारा डोरस्टेप शुल्क लिया जायेगा।

DOP Staff Salary Account (SBDOP) – Terms

1.1 These terms ("Terms") are applicable for operating a Salary Account (the "Salary Account") under the India Post Payments Bank (IPPB) salary proposition schemes and are in addition to the other terms and conditions for operating the Savings & Current Account ("Terms and Conditions").

1.2 "Customer" for the purpose of the Terms shall mean the individual employed with the entity (the "Employer") who has been offered a salary account Scheme (the "Scheme") by IPPB Bank and which Scheme has been duly accepted by the Employer.

1.3 The Customer undertakes that he/she has read and understood the "terms and conditions" under which the Salary Accounts Scheme is offered to the entity/organization and agrees to be bound by the terms of the Scheme for the purpose of operation of the Salary Account.

1.4 In the event of change in employer, the Customer shall immediately notify IPPB Bank regarding change in employment status and authorize IPPB to change the employer details based on such information being received from the Customer or his current employer or otherwise.

1.5 In the event of change in employment status, the benefits applicable to the salary account stand to be modified.

1.6 In the event the employer does not credit the salary amount into the Salary Account for a continuous period of 6 months, IPPB shall be entitled to treat the Salary Account as a Regular Savings Account and the Customer shall be bound to maintain the minimum balance in the account as specified under the Terms and Conditions or Schedule of Charges of Regular Savings Account and these Terms of Salary Account Scheme shall cease to apply to such Account and it shall be governed by the Terms and Conditions of Regular Savings Account.

1.7 In the event Customer resigns / gets terminated from the employer, the bank reserves the right to convert Salary Account to Regular Savings Account on the last working day of employment with the Employer upon confirmation received form the employer / Customer.

1.8 IPPB reserves the right to change / modify the preferential schedule of charges offered on products and services tagged to the salary account Scheme at its own discretion.

1.9 No extra transactional charges will be levied on Customer for account Scheme conversion, IPPB will levy doorstep charge on Customer in case request for conversion of Scheme availed at doorstep.